



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072025-264984
CG-DL-E-26072025-264984

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3360]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2025/श्रावण 3, 1947

No. 3360]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2025

का.आ. 3437(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में NH-163G कि.मी. 203.800 से कि.मी. 220.480 (खम्मम) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् रैभनू डिभिशनल ऑफिसर, खम्मम को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में NH-163G कि.मी. 203.800 से कि.मी. 220.480 (खम्मम) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: खम्मम		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: खम्मम (रूरल)					
गांव का नाम: थिर्डाला					
1	228	निजी (पट्टा)	ड्राय	40 (वर्ग मीटर)	0.004
2	229	निजी (पट्टा)	ड्राय	350 (वर्ग मीटर)	0.035
3	233	निजी (पट्टा)	ड्राय	100 (वर्ग मीटर)	0.01
4	234	निजी (पट्टा)	ड्राय	450 (वर्ग मीटर)	0.045
5	247	निजी (पट्टा)	ड्राय	1490 (वर्ग मीटर)	0.149
6	249	निजी (पट्टा)	ड्राय	200 (वर्ग मीटर)	0.02
7	298	निजी (पट्टा)	ड्राय	320 (वर्ग मीटर)	0.032
8	299	निजी (पट्टा)	ड्राय	10450 (वर्ग मीटर)	1.045
9	300	निजी (पट्टा)	ड्राय	1150 (वर्ग मीटर)	0.115
10	301	निजी (पट्टा)	ड्राय	4000 (वर्ग मीटर)	0.4
11	डोंका	सरकारी	ड्राय	150 (वर्ग मीटर)	0.015
तालुक का नाम: रघुनाधापलेम					
गांव का नाम: रघुनादपालेम					
12	213	निजी (पट्टा)	ड्राय	620 (वर्ग मीटर)	0.062
13	214	निजी (पट्टा)	ड्राय	2395 (वर्ग मीटर)	0.2395
14	215	निजी (पट्टा)	ड्राय	1000 (वर्ग मीटर)	0.1
15	217	निजी (पट्टा)	ड्राय	660 (वर्ग मीटर)	0.066
गांव का नाम: वेपाकुंतला					
16	206	निजी (पट्टा)	ड्राय	150 (वर्ग मीटर)	0.015

17	207	निजी (पट्टा)	ड्राय	16030 (वर्ग मीटर)	1.603
गांव का नाम: व्.वेंकटायपालेम					
18	161	निजी (पट्टा)	ड्राय	800 (वर्ग मीटर)	0.08
19	162	निजी (पट्टा)	ड्राय	12150 (वर्ग मीटर)	1.215
20	282	निजी (पट्टा)	ड्राय	452 (वर्ग मीटर)	0.0452
21	285	निजी (पट्टा)	ड्राय	3280 (वर्ग मीटर)	0.328
22	डोंका	सरकारी	ड्राय	2783 (वर्ग मीटर)	0.2783
23	डोंका	सरकारी	ड्राय	760 (वर्ग मीटर)	0.076
Total				5.978	

[फा. सं. NHAI/PIU-KMM/W-K/DPR/LA/3a/2018/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2025

S.O. 3437(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-163G in the stretch of land from **Km 203.800 to Km 220.480 (Warangal-Khammam)** in the district of KHAMMAM in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Khammam in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km 203.800 to Km 220.480 (Warangal-Khammam) Section of NH-163G Green Field alignment of the National Highway in the district of Khammam in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA			District: KHAMMAM		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Khammam (Rural)					
Village: Thirdala					
1	228	Private (Patta)	Dry	40 (Square Meter)	0.004
2	229	Private (Patta)	Dry	350 (Square Meter)	0.035
3	233	Private (Patta)	Dry	100 (Square Meter)	0.01
4	234	Private (Patta)	Dry	450 (Square Meter)	0.045
5	247	Private (Patta)	Dry	1490 (Square Meter)	0.149
6	249	Private (Patta)	Dry	200 (Square Meter)	0.02
7	298	Private (Patta)	Dry	320 (Square Meter)	0.032
8	299	Private (Patta)	Dry	10450 (Square Meter)	1.045
9	300	Private (Patta)	Dry	1150 (Square Meter)	0.115
10	301	Private (Patta)	Dry	4000 (Square Meter)	0.4
11	Donka	Government	Dry	150 (Square Meter)	0.015
Taluk: Raghunadhapalem					
Village: Ragunadhapalem					
12	213	Private (Patta)	Dry	620 (Square Meter)	0.062
13	214	Private (Patta)	Dry	2395 (Square Meter)	0.2395
14	215	Private (Patta)	Dry	1000 (Square Meter)	0.1
15	217	Private (Patta)	Dry	660 (Square Meter)	0.066
Village: Vepakuntla					
16	206	Private (Patta)	Dry	150 (Square Meter)	0.015
17	207	Private (Patta)	Dry	16030 (Square Meter)	1.603
Village: V. Venkatayapalem					
18	161	Private (Patta)	Dry	800 (Square Meter)	0.08
19	162	Private (Patta)	Dry	12150 (Square Meter)	1.215
20	282	Private (Patta)	Dry	452 (Square Meter)	0.0452
21	285	Private (Patta)	Dry	3280 (Square Meter)	0.328
22	Donka	Government	Dry	2783 (Square Meter)	0.2783
23	Donka	Government	Dry	760 (Square Meter)	0.076
Total					5.978

[F. No. NHAI/PIU-KMM/W-K/DPR/LA/3a/2018/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director